FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान

शंकरलाल पुत्र नारायण जाति जाट बनाम दल्लाराम पुत्र हीराराम जाति जाट वगै.

सा. त्योदा तह. सांभर लेक सा. त्योदा तह. सांभर लेक

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए मुकदमां नम्बर 0207/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
23.09.2022	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 515 रकबा 7.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 526 रकबा 2.33 हैक्टर भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 ता 19 किसी विशिष्ट भू–भाग का अंकन करते हुए बैचान नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.10.2022 को पेश हो। (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
27/10/22	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे हैं पत्रावली दिनांक 13/12/22 को पेश हो ।	
13/12/22	अधिवक्ता प्रार्थी उप०। तलबी पुनः पेश करें। नि० दि० 14/2/23 को पेश हो।	
14/2/23	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे हैं पत्रावली दिनांक 20/4/23 को पेश हो ।	
20/4/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ... ने निवेदन किया कि उक्त प्रा०पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता हूं इसलिए उक्त पत्रावली को आज ही तलब कर जरिये विड्रॉल खारिज किया जावे। अतः प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी का प्रा०पत्र जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम व दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी

नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh

Date: 2023.07.05 15:53:24 IST

Reason: SelfAttested